राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1710/2012

रामकिशोर गुप्ता **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य अभियंता (प्रशासन) एवं तकनीकी सदस्य, राजस्थान जल एवं सीवरेज प्रबन्धक मण्डल राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :–

   ''अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर कि अपीलार्थी को दिनांक 01.12.2011 से 23.3.2012 (मार्च) तक की अवधि का वेतन बिना किसी विलम्ब के 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित भुगतान किया जावे और अपीलार्थी का पेंशन प्रकरण तुरन्त तैयार किया जाकर पेंशन, कम्यूटेशन पेंशन व ग्रेच्यूटी राशि का भुगतान मय 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित अविलम्ब करवाया जावे।''

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि जहां तक दिनांक 01.12.2011 से 23.03.2012 तक की अवधि का वेतन भुगतान का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अवधि का भुगतान कर दिया गया है। अपीलार्थी का अनुतोष केवल मात्र इस हद तक रहा है कि अपीलार्थी को पेंशन परिलाभ का भुगतान देरी से किया गया। जिस पर नियम–89, राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत ब्याज का भुगतान दिलाया जाए।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह कथन अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने अपील बिना किसी आधार के प्रस्तुत की है। उसे नियमानुसार समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभ प्रदान किए जा चुके हैं। अपीलार्थी ने ब्याज की मांग इस प्रकार से की है कि जैसे तो प्रत्यर्थी विभाग को प्रशासनिक प्रक्रिया के अन्तर्गत इकतरफा रूप से अपीलार्थी से कोई फार्म प्रपत्र भरवाये बिना ही और उसका सहयोग लिये बिना ही, सीधे ही पैशन परिलाभ के आदेश निकालने हो। अपीलार्थी पेंशन परिलाभ के सम्बन्ध मे ब्याज की मांग का हकदार नहीं है। कार्मिक की सेवानिवृत्ति के समय कार्मिक को पैंशन कुलक पूर्ण करके अर्थात उसमें चाही गयी समस्त सूचनाऐं पूर्णरूपेण भरकर अपने

स्वयं के हस्ताक्षर करके कार्यालय में प्रस्तुत करनी होती है। यदि उसमें कार्मिक के स्तर पर कोई कमी छूटती है तो उसके लिये कार्मिक को पत्र लिखा जाता है अथवा मौखिक अवगत करवाया जाता है और कार्मिक उसे पूर्ण करता है इसलिये जो भी विलम्ब हुआ है वह अपीलार्थी के स्तर पर उक्त प्रक्रिया में हुआ है । सेवा रिकार्ड अपूर्ण होने की स्थिति में कार्मिक को चाहिये कि सेवानिवृत्ति के छह माह पूर्व ही अपना सेवारिकार्ड चैक करवाये ताकि किसी भी स्तर पर कमी न रहे। उक्त प्रक्रिया में भी कार्मिक के स्तर पर ही विलम्ब समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने में होता है और यदि कार्मिक के स्तर पर कोई औपचारिकता छूटती है तो पेंशन विभाग द्वारा ऐसी औपचारिता पूर्ण करने हेतु लिखा जाता है वही अपीलार्थी के प्रकरण में है। सेवानिवृत्ति से पूर्व कोई भी कार्मिक जहाँ–जहाँ भी कार्यरत रहता है उसे उक्त सभी स्थानो से अदेय (नो ड्यूज) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते हैं। उक्त कार्य नियोक्ता स्तर के नहीं होते हैं यह समस्त कार्यवाही कार्मिक को स्वयं करनी होती है। अपीलार्थी का पैंशन प्रकरण समय पर पेंशन विभाग को भेजा गया। पैंशन प्रकरण तैयार करने में पूरी भूमिका उत्तरदाता प्रत्यर्थी विभाग की नहीं रहती है, इसमें अधिकतम रोल कर्मचारी का भी रहता है। कर्मचारी से सम्बन्धित समस्त जानकारी कर्मचारी को स्वयं को ही पैंशन कुलक में भरकर प्रस्तुत करनी होती है। कर्मचारी व उसके आश्रित का फोटो कर्मचारी को स्वयं के स्तर पर करवाकर पैंशन कुलक में लगाना पड़ता है एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् पारिवारिक पैशन कौन लेगा यह जानकारी भी कर्मचारी के द्वारा ही पेंशन कुलक में दी जानी है। यदि कर्मचारी किसी प्रकार की कोई कमी अथवा अस्पष्ट पैंशन कुलक में प्रस्तुत करता है तो पैशन विभाग उसमें आक्षेप लगाते हैं। इस प्रक्रिया के उत्पन्न होने में कर्मचारी के स्तर पर कमी रहती है न कि प्रत्यर्थी विभाग के स्तर पर ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पैशन परिलाभ के विलम्ब के लिये उत्तरदाता प्रत्यर्थीगण किसी प्रकार के ब्याज के लिये उत्तरदायी नहीं है वैसे भी राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 के प्रावधानों की धारा– 2एफ के अनुसार ब्याज का मामला सेवा मामलों की परिभाषा में नहीं आता है । इसलिये अपीलार्थी की अपील उसकी स्वयं की प्रक्रियात्मक एवं अधिनियम 1976 में वर्णित तकनिकी प्रावधान से भी खारिज किए जाने योग्य है।

4. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। जहां तक देरी से पेंशन परिलाभों के भुगतान का प्रश्न है, प्रत्यर्थी विभाग ने यह अंकित नहीं किया है कि विलम्ब का क्या कारण रहा है। प्रत्यर्थी विभाग ने कोई स्पष्ट रूप से देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया है। यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि देरी अपीलार्थी के किस असहयोग के कारण हुई। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी के कारण पेंशन के परिलाभों का भुगतान देरी से हुआ है।

5. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 89 के तहत अपीलार्थी को नियमानुसार सेवानिवृत्ति परिलाभ के भुगतान हुई देरी पर ब्याज का भुगतान किया जाए। इस आदेश की पालना तीन माह में की जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)